

## प्रपत्र डीए 2

वापसी जमा के संबंध में, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 45झेडए, तथा बैंकिंग कंपनियाँ (नामांकन) नियम, 1985 की धारा आई2(5) के अंतर्गत नामांकन रद्द करना

मैं/हम.....[नाम और पता(पते)] एतद्वारा मेरे/हमारे द्वारा  
..... (नाम और पता) के नाम  
से.....  
..... के संबंध में किए गए नामांकन (जमा का विवरण देते हुए) को रद्द करता/करती हूँ/ करते हैं।

स्थान:

दिनांक:

गवाह(गवाहों) का(के) नाम, हस्ताक्षर एवं  
पता(पते)+

\*जमाकर्ता(जमाकर्ताओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे  
का(के) निशान

\*जब जमा किसी नाबालिग के नाम से किया गया हो, तो नामांकन को रद्द करना ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर से होना चाहिए जो नाबालिग की ओर से कार्यवाही करने के लिए कानूनी रूप से पात्र हो। +अंगूठे के निशान को दो गवाहों द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।